

फा सं. डी-19016/2/2016-सा.-IV

संघ लोक सेवा आयोग

सामान्य -IV अनुभाग

दिनांक: 07.02.2017

शुद्धिपत्र

विषय: सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि हेतु निविदा ।

दिनांक 18/01/2017 को सीपीपीपी वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा संदर्भ संख्या फा सं. डी-19016/2/2016-सा.-IV, निविदा आई डी 2017_ सं.लो.से.आ._165856_1 वाले निविदा पूछताछ के लिए संदर्भ आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा पूछताछ में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

2. संशोधन सं. 1

निविदा नोटिस में दिए गए क्रिटिकल डेटशीट में विषयवस्तु के लिए		
क्र. सं.	विषयवस्तु	संशोधन
1.	बोली प्रस्तुतीकरण की समाप्ति की तारीख	दिनांक 09/02/2017 को 15.30 बजे के बदले में 16/02/2017 को 15.30 बजे
2.	बोली को खोलने की तारीख	दिनांक 10/02/2017 को 15.30 बजे के बदले में 17/02/2017 को 15.30 बजे

3. संशोधन सं. 2

i) निविदा आमंत्रण सूचना (नि. आ. सू.) में दी गई पुरानी खण्ड संख्या 5.3- "वैट/सेवाकर/कोई अन्य कर/उपकर की दर यदि कोई हो, को मूल्य अनुसूची में अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए। बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन सभी करों रहित किया जाएगा। इस मुद्दे पर संबंधित फर्म से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।"

निविदा आमंत्रण सूचना (नि. आ. सू.) में दी गई नई खण्ड संख्या 5.3 - "वैट/सेवाकर/कोई अन्य कर/उपकर की दर यदि कोई हो, को मूल्य अनुसूची में अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए। अन्यथा यह मान लिया जाएगा की उद्धृत दरों में वैट/सेवाकर/कोई अन्य

कर/उपकर/सरकारी लेबियां शामिल हैं तथा आगे दरों में बढ़ोतरी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन सभी करो सहित किया जाएगा। इस मुद्दे पर संबंधित फर्म से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।“

ii) निविदा आमंत्रण सूचना (नि. आ. सू.) में दी गई पुरानी खण्ड संख्या 6 - “एकल डिजिटल डुप्लीकेटर/प्रिंटर के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा उन बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा जिसने निम्नतम दर (एल-1 बोलीदाता) जिसमें उस विशेष डिजिटल डुप्लीकेटर/प्रिंटर के अनुरक्षण में सभी कर शामिल हैं, उद्धृत की है।“

निविदा आमंत्रण सूचना (नि. आ. सू.) में दी गई नई खण्ड संख्या 6 - “एकल डिजिटल डुप्लीकेटर/प्रिंटर के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा उन बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा जिसने निम्नतम दर (एल-1 बोलीदाता) उद्धृत की है। एल -1 बोलीदाताओं का चयन उद्धृत दरों के आधार पर होगा जिसमें मूल्यांकन की तारीख को सभी लागू कर शामिल हैं। तथापि एल - 1 बोलीदाताओं को भुगतान यथा लागू करों के प्रभावी दर सहित बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई दर के आधार पर किया जाएगा।“

4. उपर्युक्त निविदा पृच्छताछ की सभी अन्य निबंधन एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी। तदनुसार बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

(सी.एम. कैथ)

अवर सचिव (सामान्य)

संघ लोक सेवा आयोग